छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर)

दांडिक अपील क्रमांक 603 वर्ष 1995

अपीलकर्ता संत राम उर्फ कोरडू

बनाम

प्रत्यार्थी मध्य प्रदेश राज्य

उद्घोषणा के लिए की दिनांक 3.3.2011 को सुचिबद्ध करे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
प्रितिंकर दिवाकर
न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर**)**

आपराधिक अपील क्रमांक **603** वर्ष **1995**

<u>अपीलकर्ता</u> संत राम उर्फ कोरडू

<u>बनाम</u>

<u>प्रत्यार्थी</u> मध्य प्रदेश राज्य

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुधा अग्रवाल उपस्थित थीं।

प्रत्यार्थी /राज्य के लिए श्री वैभव गोवर्धन

<u>दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **374** के तहत आपराधिक अपील।</u>

<u>निर्णय</u>

<u>(3.03.2011)</u>

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

यह अपील बिलासपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा विशेष मामला क्रमांक 118/1993 में दिनांक 7.3.1995 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध है, जिसमें अभियुक्त/अपीलकर्ता को स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 22 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है और उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,00,000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है, जुर्माना अदा न करने पर ढाई वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

2. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त मामला यह है कि 22.9.1993 को थाना प्रभारी अरुण मिश्रा (आ.सा.-3) को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी/अपीलकर्ता के पास ब्राउन शुगर है।रोजनामचा संहा (प्रदर्श P-4) में प्रविष्टि करने के बाद उन्होंने फोन पर अपने वरिष्ठ अधिकारी जे.एस.परिहार को इसकी सूचना दी और रेलवे स्टेशन की ओर प्रस्थान किया। आरोप है कि आरोपी/अपीलकर्ता रेलवे स्टेशन के वेतन कार्यालय के पास मिला और उसे बताया गया कि चूंकि उसके पास अवैध ब्राउन शुगर है, इसलिए उसकी तलाशी आवश्यक है। थाना प्रभारी ने आरोपी/अपीलकर्ता को यह भी बताया कि उसकी तलाशी या तो वह स्वयं ले सकता है, या राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट ले सकता है। इस पर आरोपी/अपीलकर्ता ने स्वयं अपनी तलाशी के लिए सहमति दे दी।तलाशी के दौरान आरोपी/अपीलकर्ता के पास से एक ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई, जिसे जब्ती ज्ञापन (प्रदर्श P-1) के तहत उसकी जेब से जब्त कर लिया गया। सभी आवश्यक जांच पूरी करने के बाद... प्रक्रियात्मक औपचारिकताएँ: प्राथमिकी

(प्रदर्श पी-7) उसी दिन अधिनियम की धारा 22 के तहत अपराध के लिए दर्ज की गई थी। जांच के बाद, पुलिस द्वारा 31.12.1993 को चालान दाखिल किया गया।

3. अभियुक्त/अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 3 गवाहों से पूछताछ की है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त/अपीलकर्ता का बयान भी दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और अपनी निर्दोषता तथा मामले में झूठे फंसाए जाने का दावा किया।

4. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त वर्णित अनुसारआरोपी/अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

5. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बात सुनी और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया, जिसमें चुनौती दी गई निर्णय भी शामिल है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि इस मामले में अधिनियम की धारा 50 के अनिवार्य प्रावधान का सही अर्थों में पालन नहीं किया गया है और इसके अलावा जब्ती के दोनों गवाह, नासिर अली (आ.सा-1) और मुजफर खान (आ.सा 2) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें विरोधी घोषित कर दिया गया है।

7. दूसरी ओर, प्रत्यार्थी/राज्य के अधिवक्ता ने चुनौती दिए गए फैसले का समर्थन किया और कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष कानून के प्रावधानों के अनुरूप हैं और इस न्यायालय द्वारा उनमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अरुण मिश्र (आ.सा.-3) द्वारा प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई थी और भले ही जब्ती के गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थ न न किया हो, फिर भी चुनौती दिए गए फैसले में कोई अवैधता नहीं है।

8. नासिर अली (आ.सा.-1) - प्रतिबंधित सामग्री की ज़ब्ती के गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी उपस्थिति में किसी भी प्रकार की ज़ब्ती नहीं की गई थी और तरबहार पुलिस ने उनसे यह कहकर हस्ताक्षर लिए थे कि पुलिस स्टेशन में कुछ भूरी चीनी बरामद की जा रही है। लगभग यही बात दूसरे ज़ब्ती गवाह मुजफर खान (आ.सा.-2) ने भी कही है। थाना प्रभारी –अरुण मिश्रा (आ.सा.-3), जिन्होंने इस मामले की जांच की थी, ने अभियोजन पक्ष के पक्ष में गवाही देते हुए कहा कि अपीलकर्ता के पास ब्राउन शुगर होने की गुप्त सूचना मिलने पर उन्होंने इसे रोजगारचा संहा में दर्ज

कराया और फिर टेलीफोन पर अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया। इसके बाद, प्राप्त सूचना के आधार पर वे रेलवे स्टेशन गए, जहां वेतन कार्यालय के पास उनकी मुलाकात आरोपी/अपीलकर्ता से हुई और उन्होंने उसे सूचित किया कि चूंकि उसके पास ब्राउन शुगर है, इसलिए उसकी तलाशी आवश्यक है। इस गवाह ने आरोपी/अपीलकर्ता को यह भी बताया कि उसकी तलाशी या तो वह स्वयं ले सकता है या राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा कराई जा सकती है, जिस पर उसने स्वयं तलाशी के लिए सहमति दे दी। तलाशी के दौरान, आरोपी/अपीलकर्ता के पास से एक ग्राम ब्राउन शुगर पॉलीथीन में लिपटी हुई मिली, जिसे जब्ती ज्ञापन (प्रदर्श पी-1) के तहत उसकी जेब से जब्त कर लिया गया।

9. विजयसिंह चंदूभा जडेजा बनाम गुजरात राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के अनुसार, अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का उसके सही अर्थों में अनुपालन अनिवार्य है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18.एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 उन शर्तों को निर्धारित करती है जिनके तहत किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी लेना आवश्यक है। यह धारा (अधिनियम 9 ऑफ 2001 द्वारा संशोधित, जिसमें 2-10-2001 से उपधारा (5) और (6) जोड़ी गई) को पूर्ण रूप से उद्धृत किया गया है। यह इस प्रकार है:

"50.वे शर्तें जिनके तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी।-(1) जब धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत कोई अधिकारी धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला हो,तो यदि वह व्यक्ति ऐसा चाहता है, तोवह उस व्यक्ति को अनावश्यक देरी के बिना धारा 42 में उल्लिखित विभागों केनिकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा।

(2) यदि ऐसी मांग की जाती है, तो अधिकारी उस व्यक्ति को तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक कि वह उसे राजपत्रित अधिकारी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत न कर दे।

(3) राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष ऐसे किसी व्यक्ति को लाया जाता है, यदि उसे तलाशी के लिए कोई उचित आधार न दिखाई दे, तो वह उस व्यक्ति को तुरंत रिहा कर देगा, अन्यथा वह तलाशी करवाने का निर्देश देगा।

(4) किसी महिला की तलाशी किसी महिला के अलावा किसी और द्वारा नहीं ली जाएगी

(5) जब धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाना संभव नहीं है या यदि मजिस्ट्रेट के पास तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति के पास किसी स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ, या नियंत्रित पदार्थ या वस्तु या दस्तावेज के कब्जे से मुक्त होने की संभावना न हो, तो वह ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के बजाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2/1974) की धारा 100 के तहत प्रदान की गई विधि के अनुसार व्यक्ति की तलाशी ले सकता है।

(6) उपधारा (5) के तहत तलाशी लेने के बाद, अधिकारी ऐसे विश्वास के कारणों को दर्ज करेगा जिसके कारण ऐसी तलाशी आवश्यक हो गई और बहत्तर घंटों के भीतर उसकी एक प्रति अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को भेजेगा।

19. धारा 50 की उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि जब अधिकृत अधिकारी किसी संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेने वाला हो, तो यदि तलाशी लेने वाला व्यक्ति ऐसा चाहे, तो वह उसे निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। उपधारा (2) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि संदिग्ध व्यक्ति ऐसा अनुरोध करे, तो तलाशी लेने वाला अधिकारी संदिग्ध को तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक उसे ऐसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत न किया जा सके। यह स्पष्ट है कि यदि संदिग्ध राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने की इच्छा व्यक्त करता है, तो अधिकृत अधिकारी संबंधित व्यक्ति की तलाशी लेने से विवश है। वह केवल संदिग्ध को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हिरासत में रख सकता है। उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि जब तलाशी लेने वाले व्यक्ति को ऐसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है और ऐसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट को तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं मिलता है, तो वह तलाशी लेने वाले व्यक्ति को तुरंत रिहा कर देगा, अन्यथा वह तलाशी का निर्देश देगा।

20. धारा 50 का आदेश स्पष्ट और सटीक है, अर्थात् यदि जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है वह अधिकृत अधिकारी से निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की इच्छा व्यक्त करता है, तो उसकी तलाशी तब तक नहीं ली जा सकती जब तक कि राजपत्रित अधिकारी या

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मजिस्ट्रेट,जैसा भी मामला हो, अधिकृत अधिकारी को ऐसा करने का निर्देश न दे दे।

21. इस समय, हमें यह स्पष्ट करना होगा कि रेफरल आदेश के संदर्भ में हमारे समक्ष विषय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 की प्रयोज्यता से संबंधित नहीं है, बल्कि उक्त धारा की उपधारा (1) में उल्लिखित "यदि तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को इसकी आवश्यकता हो" अभिव्यक्ति के दायरे और विस्तार तक ही सीमित है। इसलिए, हम एनडीपीएस अधिनियम की धारा 41 के तहत अधिकृत अधिकारी द्वारा संदिग्ध की तलाशी किए जाने पर धारा 50 की कठोरता की प्रयोज्यता के संबंध में विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्कों का मूल्यांकन करना अनावश्यक समझते हैं।

22. हम यह भी जोड़ना चाहेंगे कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन के प्रश्न पर विचार करते समय, संविधान बेरिच ने बलदेव सिंह मामले में धारा 41 के प्रावधानों पर भी विचार किया था। इसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी: (एससीसी पृष्ठ 189, कंडिका 8)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"8.एनडीपीएस अधिनियम की धारा 41 में यह प्रावधान है कि कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त किया गया कोई द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी और तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकता है जिसके बारे में उसे यह मानने का कारण हो कि उसने अध्याय **IV** के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध किया है। उपधारा (2) के माध्यम से यह शक्ति केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नारकोटिक्स, सीमा शुल्क विभागों के राजपत्रित अधिकारियों को भी सौंपी गई है।राजस्व खुफिया विभाग या केंद्र सरकार का कोई अन्य विभाग या सीमा सुरक्षा बल, जिसे राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है, जिसके बारे में उसे यह मानने का कारण हो कि उसने अध्याय **IV** के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है, या किसी व्यक्ति, वाहन, पोत, भवन आदि की तलाशी लेने का अधिकार, ताकि किसी भी प्रतिबंधित वस्तु, दस्तावेज या अन्य ऐसी वस्तु को जब्त किया जा सके जो ऐसे अपराध के घटित होने का साक्ष्य प्रस्तुत

कर सकती है, जिसे छिपाया गया हो। ऐसे भवन, वाहन, पोत या स्थान में।" (मूल पाठ में जोर दिया गया है)

23. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, अब हम विचाराधीन विवाद पर ध्यान देंगे। इसके लिए, बलदेव सिंह मामले4 में संविधान पीठ द्वारा दिए गए निष्कर्षों को संक्षेप में बताना आवश्यक होगा। हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर विचार कर रहे हैं: (एससीसी पृष्ठ 208-10, कंडिका 57,

"(1) जब कोई प्राधिकार प्राप्त अधिकारी या विधिवत अधिकृत अधिकारी पूर्व सूचना के आधार पर किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला हो, तो उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह संबंधित व्यक्ति को धारा 50 की उपधारा (1) के अंतर्गत उसके इस अधिकार की सूचना दे कि उसे तलाशी के लिए निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा। यद्यपि, ऐसी सूचना लिखित में होना अनिवार्य नहीं है।

"(2)संबंधित व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी के अधिकार के अस्तित्व के बारे में सूचित करने में विफलता से आरोपी को नुकसान होगा।

(3)किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्व सूचना पर की गई तलाशी, जिसमें व्यक्ति को उसके इस अधिकार की सूचना न दी गई हो कि यदि वह चाहे तो उसे किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी के लिए ले जाया जाएगा और यदि वह ऐसा विकल्प चुनता है, तो किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी तलाशी न करने से मुकदमा अमान्य नहीं होगा,लेकिन अवैध वस्तु की बरामदगी संदिग्ध हो जाएगी और अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा अमान्य हो जाएगी, जहां दोषसिद्धि केवल अवैध वस्तु के कब्जे के आधार पर दर्ज की गई है, जो अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई तलाशी के दौरान उसके शरीर से बरामद की गई थी।

(5) धारा 50 में दिए गए सुरक्षा उपायों का विधिवत पालन किया गया है या नहीं, इसका निर्धारण न्यायालय द्वारा मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। इस मुद्दे पर दिया गया निर्णय, चाहे किसी भी पक्ष में हो, दोषसिद्धि या बरी करने का आदेश देने के लिए प्रासंगिक होगा। अभियोजन

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पक्ष को मुकदमे में यह साबित करने का अवसर दिए बिना कि धारा 50 के प्रावधानों और विशेष रूप से उसमें दिए गए सुरक्षा उपायों का विधिवत पालन किया गया है, किसी आपराधिक मुकदमे को बीच में ही समाप्त करना अनुमेय नहीं होगा।

(6) जिस संदर्भ में तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति के लाभ के लिए धारा 50 में संरक्षण शामिल किया गया है, उस संदर्भ में हम यह राय व्यक्त नहीं करते कि धारा 50 के प्रावधान अनिवार्य हैं या निर्देशात्मक, लेकिन यह मानते हैं कि संबंधित व्यक्ति को उपधारा (1) से उत्पन्न होने वाले उसके अधिकार के बारे में सूचित करने में विफलता धारा 50 के तहत प्रतिबंधित वस्तु की बरामदगी संदिग्ध हो सकती है और किसी आरोपी की दोषसिद्धि और सजा कानून की दृष्टि से गलत और अस्थिर हो सकती है।

(7) अधिनियम की धारा 50 में दिए गए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करते हुए की गई तलाशी के दौरान किसी आरोपी से जब्त की गई कोई अवैध वस्तु, आरोपी के पास प्रतिबंधित वस्तु के अवैध कब्जे के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती, भले ही उस तलाशी के दौरान बरामद की गई कोई अन्य सामग्री अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी के खिलाफ अन्य कार्यवाही में इस्तेमाल की जा सकती हो, भले ही वह सामग्री अवैध तलाशी के दौरान बरामद की गई हो। (मूल पाठ में जोर दिया गया)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

24.यद्यपि बलदेव सिंह मामले4 में संविधान पीठ ने इस प्रश्न पर पूर्णतः निर्णय नहीं दिया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 निर्देशात्मक है या अनिवार्य, फिर भी यह माना गया कि धारा 50 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार, अधिकृत अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह संबंधित व्यक्ति (संदिग्ध) को उसके इस अधिकार के बारे में सूचित करे कि यदि वह चाहे तो उसकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जा सकती है; संदिग्ध को उसके उक्त अधिकार के बारे में सूचित न करने से उसे हानि होगी, और यदि वह ऐसा विकल्प चुनता है, तो किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी तलाशी न लेने से मुकदमा शुरू नहीं होगा, लेकिन अवैध वस्तु की बरामदगी संदिग्ध हो जाएगी और आरोपी की दोषसिद्धि और सजा अमान्य हो जाएगी, जहां दोषसिद्धि केवल एनडीपीएस

अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई तलाशी के दौरान व्यक्ति से बरामद अवैध वस्तु के कब्जे के आधार पर दर्ज की गई है। न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा 50 के तहत दी जाने वाली जानकारी का निर्धारित प्रपत्र या लिखित रूप में होना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह अनिवार्य है कि संदिग्ध को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लिए जाने के अपने अधिकार के बारे में सूचित किया जाए, यदि वह ऐसा चाहता है। हम इन निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत हैं। इस प्रावधान की कोई अन्य व्याख्या संदिग्ध को प्रदत्त मूल्यवान अधिकार को निरर्थक और हास्यास्पद बना देगी।

25. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 50 में उपधारा (5) और (6) अधिनियम 9, 2001 द्वारा जोड़ी गई थीं। यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि उक्त दो उपधाराओं को जोड़ने से, उपधाराओं में उल्लिखित परिस्थितियों में सख्त प्रक्रियात्मक आवश्यकता की कठोरता को कम करने का प्रयास किया गया है, अर्थात् जब अधिकृत अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति की तलाशी में देरी से इस बात की संभावना है कि तलाशी के दौरान वह व्यक्ति किसी स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ आदि, या किसी वस्तु या दस्तावेज को छोड़ सकता है, तो वह उसे निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के बजाय उसकी तलाशी ले सकता है। हालांकि, ऐसे मामलों में भी उपधारा (6) के तहत शक्ति के मनमाने उपयोग के विरुद्ध एक सुरक्षा उपाय प्रदान किया गया है। उक्त उपधारा के तहत, अधिकृत अधिकारी तलाशी के बहत्तर घंटों के भीतर दर्ज किए गए कारणों की एक प्रति अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को भेजने के लिए बाध्य है। हमारी राय में, इन दो उप-धाराओं को जोड़ने से धारा 50 की उपधारा (1) का वह आदेश समाप्त नहीं होता है जिसके तहत तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के उसके अधिकार के बारे में सूचित किया जाता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

26. उपधारा (5) और (6) को शामिल करने के उद्देश्य और प्रभाव पर इस संविधान पीठ द्वारा विचार किया गया था। करमेल सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में न्यायालय, जिसके हम सदस्यों में से एक (न्यायाधीश डी.के. जैन) भी सदस्य थे, ने अभिनिर्धारित किया यद्यपि उक्त निर्णय में न्यायालय ने यह

टिप्पणी की कि उपधारा (5) और (6) के समावेश से बलदेव सिंह मामले में दिया गया आदेश कमजोर हो गया है, लेकिन न्यायालय ने यह भी राय व्यक्त की कि यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त समावेश से संदिग्ध को दी गई सुरक्षा या बचाव पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। न्यायालय ने टिप्पणी की: (करमेल सिंह मामला 13, एस.सी.सी. पृष्ठ 553, कंडिका 31)

31...इस संशोधन के माध्यम से बलदेव सिंह मामले में अनिवार्य किए गए सख्त प्रक्रियात्मक दायित्व को टाल दिया गया, क्योंकि रिकॉर्ड को वरिष्ठ अधिकारी को भेजने के लिए उचित समय सीमा में छूट और निर्धारण के साथ-साथ धारा 100 सीआरपीसी के प्रयोग को भी विधायिका द्वारा शामिल किया गया था। बलदेव सिंह मामले4 द्वारा धारा 50 के पहले अनिवार्य किए गए सख्त अनुपालन पर जो प्रभाव डाला गया, वह यह था कि प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं जो तलाशी और जब्ती की आपातकालीन आवश्यकता में बाधा डाल सकती थीं और संदिग्ध को भागने का मौका दे सकती थीं, उन्हें ऐसी आपातकालीन स्थिति की तर्कसंगतता के आधार पर निर्देशात्मक बना दिया गया। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि संदिग्धों को दी गई सुरक्षा या बचाव पूरी तरह से छीन लिया गया है, लेकिन प्रक्रियात्मक मानदंडों में कुछ लचीलापन केवल एक आपातकालीन स्थिति को संतुलित करने के लिए अपनाया गया था। परिणामस्वरूप, बलदेव सिंह मामले में दिया गया आदेश कमजोर हो गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27.इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि करनैल सिंह मामले (13) में, मुद्दा वारंट या प्राधिकरण के बिना तलाशी, ज़ब्ती और गिरफ्तारी करने के मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के दायरे और प्रयोज्यता से संबंधित था, इसके अलावा उक्त निर्णय बलदेव सिंह मामले (4) में दिए गए सिद्धांत से अलग नहीं है, जहाँ तक अधिकृत अधिकारी के संदिग्ध को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) में निहित उसके अधिकार की सूचना देने के दायित्व का संबंध है। उक्त कंडिका से यह भी स्पष्ट है कि दो नवगठित उपधाराओं के संदर्भ में प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं में लचीलापन केवल प्रावधान में परिकल्पित आपातकालीन और अत्यावश्यक स्थितियों में ही लागू किया जा सकता है, न कि सामान्य प्रक्रिया के रूप में। इसके अतिरिक्त, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (6) अधिकृत

अधिकारी पर यह अनिवार्य और बाध्यकारी बनाती है कि वह उपधारा (5) के अनुसार अपने विश्वास के लिए दर्ज किए गए कारणों की एक प्रति अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को निर्धारित समय के भीतर भेजे, जो प्रक्रिया परीक्षण के दौरान न्यायिक जांच के अधीन होगी।

28.अब हम रेफरल आदेश में उल्लिखित दो निर्णयों पर विचार करेंगे, जिनमें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 में निहित आवश्यकता का "पर्याप्त अनुपालन" पर्याप्त माना गया है। प्रभा शंकर दुबे मामले में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने हमारे समक्ष इस मुद्दे पर बलदेव सिंह मामले के सार को इस प्रकार व्यक्त किया: (प्रभा शंकर दुबे मामला-2, एससीसी पृष्ठ 64, कंडिका 11)

"11...संबंधित अधिकारी को यह बताना आवश्यक है कि आरोपी के पास क्या विकल्प है। आरोपी (संदिग्ध) को इस प्रकार बताया जाना चाहिए कि उसे यह एहसास हो जाए कि विकल्प उसका है, न कि संबंधित अधिकारी का, भले ही इसका कोई विशिष्ट रूप न हो। बलदेव सिंह मामले के निर्णय में प्रासंगिक स्थानों पर 'अधिकार' शब्द का प्रयोग 4 ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उद्देश्य इस बात पर प्रभावी ढंग से जोर देना है कि यह अधिकारी की कृपा से नहीं दिया जाता है, बल्कि उस स्तर पर 'संदिग्ध' को ऐसा विकल्प दिए जाने का अधिकार है और इसका उल्लंघन करने पर जो अपरिहार्य परिणाम भुगतने पड़ते हैं, वे भी इसमें निहित हैं। हालांकि, उस मामले के तथ्यों के आधार पर धारा 50 की उल्लिखित आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है या नहीं, इसका आकलन करते समय, वर्तमान मामले और जोसेफ फर्नांडीज मामले के साक्ष्यों की प्रकृति में समानता पाते हुए, न्यायालय ने बाद वाले मामले में व्यक्त विचारों का अनुसरण करना चुना, जिसमें यह माना गया था कि तलाशी अधिकारी द्वारा संदिग्ध को यह सूचना देना कि "यदि आप चाहें तो किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में आपकी तलाशी ली जा सकती है" एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकता का पर्याप्त अनुपालन था। फिर भी, न्यायालय ने "पर्याप्त अनुपालन" अभिव्यक्ति के प्रयोग का कारण निम्नलिखित शब्दों में बताया: (प्रभा शंकर दुबे मामला-2, एससीसी पृष्ठ 64, कंडिका 12)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"12.'पर्याप्त अनुपालन' अभिव्यक्ति का प्रयोग इस पृष्ठभूमि में किया गया था कि तलाशी अधिकारी के मन में धारा 50 थी और यह बलदेव सिंह मामले4 में संविधान पीठ द्वारा दी गई व्याख्या से अप्रभावित था। किसी निर्णय की एक पंक्ति या एक शब्द को अलग से या किसी वैधानिक प्रावधान की व्याख्या के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है, जिससे टिप्पणियों को कोई भिन्न अर्थ दिया जा सके।"उपरोक्त उद्धृत कंडिका से यह स्पष्ट है कि जोसेफ फर्नांडीज[1] बलदेव सिंह4 के अनुपात पर ध्यान नहीं देते हैं और प्रभा शंकर दुबे2 में, बलदेव सिंह मामले4 में निर्धारित सिद्धांत की अनदेखी करते हुए जोसेफ फर्नांडीज[1] का अनुसरण किया जाता है।

29.उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारा दृढ़ मत है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50(1) के अंतर्गत संदिग्ध को सुरक्षा उपाय के रूप में जो अधिकार प्रदान किया गया है, उसका उद्देश्य शक्ति के दुरुपयोग को रोकना, निर्दोष व्यक्तियों को हानि से बचाना और कानूनप्रवर्तन एजेंसियों द्वारा झूठे मामले दर्ज करने या थोपने के आरोपों को कम करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अधिकृत अधिकारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी के अपने अधिकार से अवगत कराए। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी का दायित्व अनिवार्य है और इसका कड़ाई से पालन आवश्यक है। इस प्रावधान का पालन न करने पर अवैध वस्तु की बरामदगी संदिग्ध हो जाएगी और यदि तलाशी के दौरान आरोपी के शरीर से अवैध वस्तु की बरामदगी के आधार पर ही दोषसिद्धि दर्ज की जाती है, तो दोषसिद्धि अमान्य हो जाएगी। इसके बाद, संदिग्ध व्यक्ति उक्त प्रावधान के तहत उसे दिए गए अधिकार का प्रयोग करना चुन सकता है या नहीं भी चुन सकता है।

30.जैसा कि राष्ट्रपति चुनाव में देखा गया, इन रे14: (एससीसी पृष्ठ 49, कंडिका 13. न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे व्याख्या किए जाने वाले प्रावधान के संपूर्ण दायरे पर ध्यानपूर्वक विचार करके विधायिका के वास्तविक आशय को समझें। प्रत्येक कानून को समझने की कुंजी कानून का तर्क और भावना है, यह कानून निर्माता का आशय है जो कानून में ही समग्र रूप से व्यक्त किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

31.हमारा मत है कि जोसेफ फर्नांडीज[1] और प्रभा शंकर दुबे के मामलों में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकता के पर्याप्त अनुपालन की अवधारणा, जिसे उक्त धारा के आदेश में शामिल किया गया है, न तो धारा 50 की उपधारा (1) की भाषा से स्पष्ट है और न ही बलदेव सिंह मामले[4] में दिए गए मत के अनुरूप है। यह कहना अनावश्यक है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं और धारा 50 की आवश्यकता पूरी हुई है या नहीं, यह विचारणीय विषय है। इस संबंध में कोई भी निश्चित सूत्र निर्धारित करना न तो संभव है और न ही व्यावहारिक।

32.हमारा यह भी मानना है कि यद्यपि धारा 50 अधिकृत अधिकारी को ऐसे व्यक्ति (संदिग्ध) को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प देती है, लेकिन संपूर्ण कार्यवाही को प्रामाणिकता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए, सर्वप्रथम प्रयास यह होना चाहिए कि संदिग्ध को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिस पर आम जनता को अन्य अधिकारियों की तुलना में अधिक विश्वास होता है। इससे न केवल तलाशी कार्यवाही को वैधता मिलेगी, बल्कि अभियोजन पक्ष को भी मजबूती मिलेगी।वर्तमान मामले में, अभियुक्त/अपीलकर्ता को जारी किया गया नोटिस (प्रदर्श पी-6) इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"सहमति पत्र

धारा 43 नार. एक्ट

सन्तराम उर्फ कन्टू पिता. धरन पटेल उम्र 21 वर्ष सा. बजरंगबली मंदिर के पास,मगरपारा थाना, सिविल लाइन बिलासपुर।मुझे विश्वास है कि आपके पास अवैध ब्राउन सुगर है जिकी मैं जप्ती करना चाहता हूं।आप जप्ती कराने के लिए तैयार है या राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष जप्त करावेंगे।

हस्ता. पु. अधिकारी

मैं जप्त कराने को तैयार हूं। मजिस्ट्रेट के पास चलने को तैयार हूं। राजपत्रित अधिकारी के पास चलने को तैयार हूं।

हस्ताक्षर अभियुक्त "

उक्त नोटिस को सरसरी तौर पर पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह तलाशी के संबंध में नहीं दिया गया था,बल्कि यह किसी अन्य विषय के संबंध में प्रतीत होता है।ज़ब्ती। यदि ऐसा है,तो यह स्पष्ट है कि इस मामले में ज़ब्ती करने से पहले आरोपी/अपीलकर्ता को तलाशी के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई थी और इस प्रकार अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 50 में दिए गए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करते हुए की गई तलाशी के दौरान आरोपी के पास से जब्त की गई कोई भी अवैध वस्तु आरोपी के विरुद्ध प्रतिबंधित वस्तु के अवैध कब्जे के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती,हालांकि उस तलाशी के दौरान बरामद की गई किसी अन्य सामग्री पर अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध अन्य कार्यवाही में भरोसा कर सकता है,भले ही वह सामग्री अवैध तलाशी के दौरान बरामद की गई हो। इसके अलावा,अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए ज़ब्ती गवाहों ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और मुकर गए।

10.अतः अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि चुनौती दिए गए निर्णय द्वारा दोषसिद्धि दर्ज करते समय निचली अदालत ने इस तथ्य को नजरअंदाज करके गंभीर कानूनी त्रुटि की है कि अधिनियम की धारा 50 के तहत तलाशी के संबंध में आरोपी/अपीलकर्ता को बरामदगी से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11.परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। चुनौती दी गई निर्णय को रद्द किया जाता है। आरोपी/अपीलकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से बरी किया जाता है। चूंकि वह पहले से ही जमानत पर है, इसलिए उसकी जमानत रद्द की जाती है।

सही/-

प्रितिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं कियाजाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप हीअभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By MS. MAMTA MAHILANGE ADV.